



त्रैप्टर 3.43

Parks and Recreation Facilities Code (पार्क एंड रेक्रेएशन फैसलिटीज कोड)



Hindi

अनुभाग

3.43.010	पुलसि की ताकत।.....	4
3.43.020	परभिषाएं।.....	4
3.43.030	नयिम बनाना।.....	5
3.43.040	रात भर कैम्पगि ।.....	5
3.43.050	आतशिबाजी।.....	5
3.43.055	आग्नेयास्त्र, हथयार।.....	6
3.43.060	गंदगी फैलाना.....	6
3.43.070	खेल आश्रय, अभ्यारण्य या संरक्षति स्थल - वन्यजीवों की अशांति.....	6
3.43.080	वन्यजीवों को पकड़ना या उन पर हमला करना नष्टिद्वय है।	6
3.43.090	जानवरों को खलिना।	6
3.43.100	अतक्रिमण.....	7
3.43.110	संपत्तिको हटाना या नष्ट करना।	7
3.43.130	कुत्ते और पालतू जानवर - नष्टिद्वय क्षेत्र।.....	7
3.43.135	कुत्ते और पालतू जानवर - कुछ समुद्र तटों पर नष्टिद्वय।	7
3.43.140	पशुओं के मल को हटाना।.....	8
3.43.145	बड़े पैमाने पर जानवरों का दौड़ना प्रतबिंधति है।	8
3.43.150	जानवरों द्वारा वधिन।	8
3.43.160	मोटर वाहन।	8
3.43.170	गतसीमा।	8
3.43.180	मोटर वाहनों की पारकगि।	8
3.43.190	वाणिज्यिक जलयान नष्टिद्वय।	9
3.43.200	लैडगि, लॉन्चगि, डॉकगि और वॉटरक्राफ्ट का उपयोग - नष्टिद्वय।	9
3.43.210	रात भर के लए बंधक बनाना नष्टिद्वय है।	10
3.43.220	गतसीमा - दूरी सीमाएं।.....	10
3.43.230	लार्सन लेक - सभी जलयान प्रतबिंधति।.....	10

3.43.240	आग।	10
3.43.250	मादक पेय पदार्थ प्रतबिंधति।	10
3.43.260	धूनप्रवर्धन उपकरण प्रतबिंधति।	11
3.43.270	संकेत, पोस्टर और नोटसि पोस्ट करना।	11
3.43.280	याचना।	11
3.43.290	बकिरी या माल, भोजन या सेवाएँ - परमाटि आवश्यक है।	11
3.43.300	मोटर चालति मॉडलों का परचालन प्रतबिंधति है।	12
3.43.310	गैर-मोटर चालति वाहनों का उपयोग - कुछ क्षेत्रों में प्रतबिंधति।	12
3.43.320	नष्टिकासन	12
3.43.330	बंद होने का समय।	13
3.43.335	पेड़ और वनस्पति- शहर की संपत्ति।	13

3.43.010 पुलसि की ताकत।

इस चैप्टर को शहर की पुलसि की ताकत के लिए एक अभ्यास के रूप में घोषित किया गया है; इसके परावधानों को प्राकृतिक वातावरण, जनता में शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए उदारतापूर्वक नरिमाति किया जाएगा। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.020 परभिषाएं।

“एयर या गैस हथयार” मतलब कोई भी एयर पसिटल या एयर राइफल जिससे एक बीबी, पलिट, या अन्य प्रक्रिये को संपीड़ित हवा, कॉर्बनडाइऑक्साइड या अन्य गैस के बहाव के जरूरि चलाने के लिए बनाया गया है।

“वभिषाएं” का मतलब शहर के पार्क एवं सामुदायिक सेवाएँ का वभिषाएं है।

“नदिशक” का मतलब पार्क एवं सामुदायिक सेवाएँ वभिषाएं के नदिशक और नदिशक के अधिकृत एजेंट हैं।

“आग्नेयास्तर” का मतलब एक हथयार या उपकरण है जिससे कसी प्रक्रिये परक्रिये या प्रक्रिये को बारूद जैसे वसिफोटक द्वारा दागा जा सकता है।

“इन्फ्लैटेबल, गैर-मोटर चालति जलयान” का मतलब उन गैर-मोटर चालति जलयानों से है जिनमें दो या दो से अधिक फुलाने योग्य कक्ष होते हैं और जो दो या दो से अधिक चप्पुओं से चलते हैं।

“मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट” का मतलब उन तैरने वाले उपकरणों से है जिन्हें आंतरकि दहन इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से संचालित करने के लिए डिजिइन किया गया है। इन्फ्लैटेबल, मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट को इस परभिषाए में शामिल किया जा सकता है अगर वे आंतरकि दहन इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से संचालित होते हैं।

“गैर-मोटर चालति साइकलि या समान उपकरण” का मतलब कसी भी पहलिदार, ऑपरेटर-चालति उपकरण से है जो व्हीलचेयर को छोड़कर, ऑपरेटर को जमीन पर ले जाता है। गैर-मोटर चालति साइकलि या इसी तरह के उपकरण में यूनीसाइकलि, स्केटबोर्ड, साइकलि, ट्राइसाइकलि, क्वाडसाइकलि और स्कूटर शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

“गैर-मोटर चलति वॉटरक्राफ्ट” का मतलब उन तैरने वाले उपकरणों से है जो पानी में कसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सहारा देने या सहायता करने के लिए डिजिइन किए गए हैं, और जिन्हें चप्पू चलाने वाले या पाल के उपयोग से चलाया जा सकता है या नहीं भी चलाया जा सकता है।

“नॉनस्वमिगि सीज़न” का अर्थ वर्ष का वह भाग है जिसे तैराकी सीज़न के रूप में नरिदिष्ट नहीं किया गया है।

“पार्क” का मतलब है सभी पार्क और उनमें मौजूद जल नकिय, चौराहे, प्लाजा, ट्रेलस, गोल्फ कोर्स, संग्रहालय, समुद्र तट, खेल के मैदान, मैदान, वनस्पति उद्यान, ग्रीनबेलट और अन्य पार्क, मनोरंजन और खुले स्थान क्षेत्र, पार्कगि स्थल, भवन और सुवधाएं जिसमें शहर के पार्क और मनोरंजन प्रणाली शामिल हैं, जो शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति के प्रबंधन और नियंत्रण के तहत आता है।

“मनोरंजन कार्यक्रम” का मतलब वभाग द्वारा संचालित, प्रायोजित या सहायता प्राप्त कोई भी कार्यक्रम या गतिविधि है, चाहे वह कसी पारक में हो या नहीं।

“तैराकी मौसम” का मतलब है समय की अवधि, जैसा कि शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, लगभग जून के मध्य से सतिंबर के पहले सप्ताह तक, जब लाइफगार्ड पारक तैराकी समुद्र तटों पर दैनिक ड्यूटी पर होते हैं। (Ord. 6147 § 1, 2014; Ord. 6074 § 1, 2012; Ord. 4566 § 1, 1993; Ord. 4480 § 1, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.030 नियम बनाना।

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति के पास इस चैप्टर के प्रावधानों को लागू करने की शक्ति है। शहर के पारक और मनोरंजन परणाली को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए शहर प्रबंधक या उसका नामति व्यक्ति चैप्टर के अनुरूप नियमों और वनियमों को अपना सकता है, संशोधित कर सकता है और रद्द कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित नियम भी शामिल हैं:

- A. इस चैप्टर को स्पष्ट करें, व्याख्या करें या लागू करें;
- B. पार्कों के उपयोग को विनियमित करें;
- C. पार्कों में आचरण को विनियमित करें;
- D. पार्कों में प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट करें;
- E. मनोरंजक कार्यक्रमों को विनियमित करें;
- F. सार्वजनिक उपयोग और/या मोटर वाहनों द्वारा प्रवेश या उपयोग के लिए विशेष पार्कों या पार्क सुविधाओं के खुलने और बंद होने का समय निर्धारित करें। (Ord. 4480 § 2, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.040 रात भर कैम्पिंग।

Ord. 6385 के द्वारा प्रत्यस्थापित

3.43.050 आतशिबाजी।

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति द्वारा जारी परमिट के अलावा, कसी भी पारक में आतशिबाजी रखना और/या उसका उपयोग करना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 4, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.055 आग्नेयास्त्र, हथयार।

वधिवित अधकृत कानून प्रवरतन कर्मयों को छोड़कर कसी भी व्यक्ति के पास शहर के पारक में धनुष और तीर, क्रॉसबो, या वायु या गैस हथयार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति Bellevue park क्षेत्र के कसी भी शहर में आग्नेयास्त्र, धनुष और तीर, क्रॉसबो, वायु या गैस हथयार, या कसी भी व्यक्तिया जानवर को धायल करने या मारने, या कसी भी सार्वजनिक या नजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने में सक्षम कसी भी उपकरण का नरिवहन नहीं करेगा। यह धारा वहां लागू नहीं होगी जहां शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति एक वशीष मनोरंजक गतविधि को लखित रूप में अधकृत किया है या जहां व्यक्तिगत सुरक्षा सपरे का कब्जा और/या नरिवहन RCW 9.91.160, के तहत स्पष्ट रूप से अधकृत है, जैसा कि अपनाया गया है या इसके बाद संशोधित किया गया है। (Ord. 6074 § 2, 2012.)

3.43.060 गंदगी फैलाना

कसी भी पारक में नरिदष्टि कूड़ेदानों को छोड़कर कसी भी कूड़े या अन्य सामग्री को फेंकना या जमा करना, या कूड़े को पारक में नपिटान के लिए ले जाना या मना करना, या पारक के बाहर उत्पन्न कूड़े या कूड़े को पारक के भीतर जमा करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.070 खेल आश्रय, अभ्यारण्य या संरक्षति स्थल - वन्यजीवों की अशांति

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति देवारा खेल आश्रय, अभ्यारण्य या रजिरव के रूप में नामति और पोस्ट कपि गए पारक में कसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना गैरकानूनी है; या वहां स्थित वन्यजीवों या कसी भी वन्यजीव के घोसले या प्रजनन स्थल से छेड़छाड़ करना या परेशान करना। (Ord. 4480 § 5, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.080 वन्यजीवों को पकड़ना या उन पर हमला करना निषिद्ध है।

कसी भी पारक में कसी भी प्रकार से कसी भी वन्यजीव को कसी भी छड़ी, हथयार या अन्य उपकरण या चीज़ से पकड़ना, हमला करना, मारना या परेशान करना या पकड़ने का प्रयास करना, हमला करना, मारना या परेशान करना या मसिइल फेंकना या फेंकना गैरकानूनी है या ऐसे कसी भी वन्यजीव पर या उसके आसपास आपत्तिजिता सकता है, सविय इसके क्षितिर प्रबंधक या उसका नामति व्यक्ति अनुसंधान या स्थानांतरण उद्देश्यों के लिए वन्यजीवों को पकड़ने की मंजूरी दे सकता है। (Ord. 4480 § 6, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.090 जानवरों को खलिना।

कसी भी व्यक्ति के लिए खेत के जानवरों या वन्यजीवों को खलिने के इरादे से कसी भी प्रकार या प्रकृति के खाद्य पदार्थों को छोड़ना, रखना या वितरति करना गैरकानूनी है; बशर्ते, यह धारा पारक वभिग के कर्मयों द्वारा खेत जानवरों या वन्यजीवों को खलिने पर लागू नहीं होगी। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.100 अतक्रिमण

अपने करतव्यों के पालन में अधिकृत शहर कर्मचारी या कानून के अनुसार वधिवित अधिकृत अन्य व्यक्ति को छोड़कर कसी भी व्यक्ति को लाए कसी भी क्षेत्र में प्रवेश करना या जाना गैरकानूनी है, जसि शहर प्रबंधक या उसके द्वारा निर्दिष्ट और तैनात किया गया है जसि "No Admittance (प्रवेश निषिध)" या "No Trespassing (अतक्रिमण निषिध)" क्षेत्र के रूप में नामति किया गया है, या कसी भी समय जसिके दौरान पारक को जनता के लाए बंद रखा गया है। (Ord. 4480 § 7, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.110 संपत्ति को हटाना या नष्ट करना।

शहर के अधिकृत कर्मचारी को छोड़कर कसी भी व्यक्ति को लाए कसी भी पारक की संपत्ति, संरचना, सुवधि या स्टेशन को हटाना, नष्ट करना, विकृत करना या वर्षीयता करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.130 कुत्ते और पालतू जानवर - निषिद्ध क्षेत्र।

कसी भी व्यक्ति के लाए शहर के प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तिद्वारा खेल आश्रय, अभ्यारण्य या रजिरव के रूप में नामति और पोस्ट किए गए पारक में कसी भी क्षेत्र में कसी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को अनुमतिदिना, या ऐसे कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को छोड़छाड़ करने की अनुमतिदिना या उसमें वन्यजीवों को परेशान करना या ऐसे कसी भी वन्यजीव के घोंसले या प्रजनन स्थान को परेशान करना, या कसी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को कसी अन्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमतिदिना, जसि शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति ने जानवरों के लाए निषिद्ध स्थान के रूप में तैनात किया हो, गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 9, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.135 कुत्ते और पालतू जानवर - कुछ समुद्र तटों पर निषिद्ध।

कसी भी व्यक्ति के लाए 1 जून से 15 सितंबर तक नमिनलखिति समुद्र तट पारकों या जल मनोरंजन क्षेत्रों में कसी कुत्ते या पालतू जानवर को रहने की अनुमतिदिना गैरकानूनी है:

Chesterfield Beach Park

Chism Beach Park

Clyde Beach Park

Enatai Beach Park

Meydenbauer Beach Park

Newcastle Beach Park

West Tributary of Kelsey Creek, Kelsey Creek Community Park (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.140 पशुओं के मल को हटाना।

कसी भी पारक में कुत्ता या पालतू जानवर रखने वाला कोई भी व्यक्तजिनवर के आचरण के लिए जमिमेदार होगा, मल हटाने के लिए उपकरण ले जाएगा और ऐसे कुत्ते या पालतू जानवर द्वारा जमा कए गए कसी भी मल को इकट्ठा करके एक उचित पात्र में रखेगा। कसी भी व्यक्तिके लिए कुत्ते या पालतू जानवर द्वारा जमा कए गए कसी भी मल को इकट्ठा करने और अपने कब्जे में रखने में असफल होना गैरकानूनी होगा। (Ord. 4480 § 10, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.145 बड़े पैमाने पर जानवरों का दौड़ना प्रतबिंधित है।

सार्वजनिक कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपयोग कए जाने वाले कुत्तों को छोड़कर, कसी भी व्यक्तिके लिए कसी भी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को कसी भी पारक में बड़े पैमाने पर दौड़ने की अनुमतिदेना या करने देना गैरकानूनी है; बशरते कि, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां जानवरों को प्रतबिंधित किया गया है, कुत्तों या अन्य पालतू जानवरों को पारक में अनुमतिदी जाती है अगर पट्टा छह फीट से अधिक लंबा न हो, या अन्यथा सुरक्षित रूप से पजिरे में बंद हो या सुरक्षित रूप से स्वतंत्र रूप से चलने से रोका गया हो। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.150 जानवरों द्वारा वधिन।

कसी भी व्यक्तिके लिए कसी भी कुत्ते या अन्य पालतू जानवर को, चाहे वह पट्टे पर हो या बंद हो, कसी भी पारक उपयोगकर्ताओं, खेत के जानवरों, वन्यजीवों या अन्य पालतू जानवरों को परेशान करने या परेशान करने की अनुमतिदेना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.160 मोटर वाहन।

कसी भी पारक के ऊपर या उसके पार (निर्दिष्ट पारक सड़कों, ड्राइव और पारकवे को छोड़कर), या कसी भी सड़क, ड्राइव या पारकवे पर जसि वाहनों के आवागमन के लिए बंद माना जाता है, कसी भी मोटर चालति वाहन को चलाना, चलाना, चलाना या निर्देशित करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.170 गतसीमा।

जब कोई गतसीमा पोस्ट नहीं की गई हो, या कसी भी पोस्ट की गई गतसीमा से अधिक हो, तो कसी भी सड़क पर, कसी पारक में ड्राइव या पारकवे पर 15 मील प्रतिघंटे से अधिक की गतसीमा कसी भी मोटर चालति वाहन को चलाना, ड्राइव करना या निर्देशित करना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.180 मोटर वाहनों की पारकगि।

Ord. 6147 के द्वारा प्रतिस्थापित

3.43.190 वाणजिकि जलयान नषिदिधि।

समुद्री क्षेत्रों और समुद्री सुवधिओं का वाणजियकि उद्देश्यों के लाए या वाणजियकि वॉटरक्राफ्ट के लाए ऐसे क्षेत्रों या सुवधिओं का उपयोग करना गैरकानूनी है, सविय इसके कर्त्तव्य जब शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तिदिवारा जारी परमटि के अनुसार ऐसा किया गया हो। इस खंड के प्रयोजनों के लाए, “वाणजियकि वॉटरक्राफ्ट” का मतलब कसी भी व्यावसायकि उद्देश्य के लाए उपयोग किया जाने वाला वॉटरक्राफ्ट है, लेकनि इसमें शहर के साथ रयियती पट्टे के तहत संचालित वॉटरक्राफ्ट शामलि नहीं होगा। (Ord. 4480 § 11, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.200 लैडगि, लॉन्चगि, डॉकगि और वॉटरक्राफ्ट का उपयोग - नषिदिधि।

कसी भी व्यक्ति के लाए कसी पार्क की सीमा के भीतर कसी तैराकी क्षेत्र, गोदी, घाट, फ्लोट या तटरेखा पर कसी वॉटरक्राफ्ट को उतारना, लॉन्च करना, डॉक करना या उपयोग करना गैरकानूनी है, वशिष रूप से वॉटरक्राफ्ट द्वारा ऐसे उपयोग के लाए नरिदिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर; बशर्ते वॉटरक्राफ्ट नीचे बताए अनुसार नमिनलखित क्षेत्रों का उपयोग कर सकता है:

- A. संकेतित समय के दौरान गैर-मोटर चालित वॉटरक्राफ्ट को निम्नलिखित पार्कों में लॉन्च और उतारा जा सकता है:

Chesterfield Beach Park	गैर तैराकी मौसम
Meydenbauer Beach Park	गैर तैराकी मौसम
Chism Beach Park	गैर तैराकी मौसम
Clyde Beach Park	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदिष्ट क्षेत्रों में
Burrows Landing	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदिष्ट क्षेत्रों में
Enatai Beach Park	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदिष्ट क्षेत्रों में
Newcastle Beach Park	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदिष्ट क्षेत्रों में

- B. निर्दिष्ट समय के दौरान निम्नलिखित पार्कों में मोटर चालित और गैर-मोटर चालित जलयान लॉन्च और उतारे जा सकते हैं:

40 स्ट्रीट बोट लॉन्च	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदिष्ट क्षेत्रों में
Sweylocken बोट लॉन्च	पूरे वर्ष, सरिफ नरिदिष्ट क्षेत्रों में

- C. वॉटरक्राफ्ट को निम्नलिखित से लॉन्च या लैंड नहीं किया जा सकता है:

Robinsglen Nature Park	पूरे वर्ष
------------------------	-----------

- D. यह धारा बचाव, जीवनरक्षा, कानून प्रवर्तन, पार्क रखरखाव या शहर प्रायोजित गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले जलयान पर लागू नहीं होगी।

- E. संघर्ष की स्थिति में, Harbor कोड, चैटर 12.04 BCC के प्रावधानों का इस कोड पर नियंत्रण होगा। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.210 रात भर के लाए बंधक बनाना निषिद्ध है।

शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्तिकी अनुमति के अलावा, कसी भी व्यक्तिके लाए कसी भी पार्क में रात भर जलयान खड़ा करना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 12, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.220 गतसीमा - दूरी सीमाएं।

कसी भी व्यक्तिके लाए कसी भी तैराकी क्षेत्र, डॉक या पार्क तटरेखा के 300 फीट के भीतर सात समुद्री मील से अधिक गतपिर कसी भी जलयान का संचालन करना गैरकानूनी है; या जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाली आपातकालीन स्थितिको छोड़कर, ऐसे कसी तैराकी क्षेत्र, डॉक या पार्क तटरेखा से 100 फीट से अधिक करीब जाना; या शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में, या वॉटरक्राफ्ट के ऑपरेटर की संपत्ति तिक पहुंचने के लाए आवश्यक है। (Ord. 4480 § 13, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.230 लार्सन लेक - सभी जलयान प्रतबिंधति।

कसी भी व्यक्तिके लाए Larson Lake के पानी पर कसी भी प्रकार के वॉटरक्राफ्ट का उपयोग या संचालन करना गैरकानूनी है, जिसमें कोई तैरता हुआ उपकरण, गैर-मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट या मोटर चालति वॉटरक्राफ्ट शामिल है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.240 आग।

कसी भी व्यक्तिके लाए निर्दिष्ट सुविधाओं या स्वयं-नहिति स्टोव को छोड़कर, पार्क में आग लगाना या बनाए रखना गैरकानूनी है। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.250 मादक पेय पदारथ प्रतबिंधति।

कसी भी व्यक्ति के लाए पार्क में कसी भी मादक पेय का उपयोग करना या उसे अपने पास रखना गैरकानूनी है, जिसमें खुले मादक पेय कंटेनर भी शामिल हैं; बशर्ते कथियह निषिद्ध उन संगठति समूहों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने शहर प्रबंधक या उसके नामति व्यक्ति से और, यदि आवश्यक हो, तो State Liquor Control Board (राज्य शराब नियंत्रण बोर्ड) से परमाणि प्राप्त किया है। (Ord. 4480 § 14, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.260 ध्वनि प्रवर्धन उपकरण प्रतिबंधित।

- A. A किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी पार्क में रेडियो, टेप प्लेयर, टेलीविजन, संगीत वाद्ययंत्र, रिकॉर्ड प्लेयर या किसी अन्य मशीन या डिवाइस का उपयोग करना, संचालित करना या बजाना या उपयोग करने, संचालित करने या चलाने की अनुमति देना, जो ऐसी ध्वनि जो शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जारी किए गए परमिट के अलावा, उससे 30 फीट से अधिक की दूरी पर सुनाई देती है, गैरकानूनी है।
- B. पार्क की उपलब्धता के अधीन, शहर प्रबंधक या उसका नामित व्यक्ति ध्वनि प्रवर्धन उपकरण का उपयोग करने पर इस अनुभाग की उपधारा A के अपवाद के लिए शर्तों के साथ परमिट प्रदान करेगा या प्रदान करेगा:
1. सार्वजनिक उपदरव नहीं बनेगा;
 2. सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेगा;
 3. सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में नहीं डालेगे; और
 4. एक ऐसे आयोजन से जुड़ा है जो आम जनता के लाए खुला है।
- C. शहर प्रबंधक या उसका नामित व्यक्ति इस अनुभाग के तहत परमिट के प्रशासन की अनुमति देने के लिए BCC 3.43.030 के अनुसार प्रशासनिक नियमों को अपना सकता है।
- D. इस धारा की उपधारा A का उल्लंघन और इस धारा के अनुसार जारी किए गए परमिट के उल्लंघन को चैप्टर 9.18 BCC में निर्धारित नागरिक शोर उल्लंघन माना जाएगा। (Ord. 5721 § 1, 2007; Ord. 4480 § 15, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.270 संकेत, पोस्टर और नोटसि पोस्ट करना।

किसी भी व्यक्ति के लाए किसी भी पार्क में विज्ञापन के लाए कोई संकेत, पोस्टर या सुचना या किसी भी प्रकार का कोई अन्य उपकरण पोस्ट करना या संलग्न करना गैरकानूनी है, साविय इसके किंजिब शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा अधिकृत किया गया हो। (Ord. 4480 § 16, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.280 याचना।

शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जारी परमिट के अलावा, किसी भी व्यक्ति के लाए किसी भी पार्क में मानव उपभोग के लाए किसी भी सामान, सेवाओं, माल, माल, तरल पदारथ या खाद्य पदारथों की मांग करना, बेचना या बेचना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 17, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.290 बक्री या माल, भोजन या सेवाएँ - परमिट आवश्यक है।

शहर प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति द्वारा जारी परमिट के अलावा, किसी भी व्यक्ति के लाए किसी भी पार्क में कोई माल, भोजन या सेवाएँ बेचना या बेचने का प्रयास करना गैरकानूनी है। (Ord. 4480 § 18, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.300 मोटर चालति मॉडलों का परचिलन प्रतबिंधति है।

कसी भी व्यक्ति के लिए कसी भी पार्क में कसी भी मोटर चालति मॉडल कार, विमान, रॉकेट या वॉटरक्राफ्ट का संचालन करना गैरकानूनी है, जब तक कसी मैनेजर या उसके नामति व्यक्ति द्वारा अधिकृत न किया गया हो। (Ord. 4480 § 19, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.310 गैर-मोटर चालति वाहनों का उपयोग - कुछ क्षेत्रों में प्रतबिंधति।

कसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे कसी क्षेत्र में साइकल या अन्य समान उपकरण चलाना गैरकानूनी है, जसे ऐसे वाहनों के लिए प्रतबिंधति घोषित किया गया हो। (Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.320 निष्कासन

- A. सिटी मैनेजर या उसका नामित व्यक्ति या उसका अधिकृत एजेंट किसी भी व्यक्ति को एक से सात दिनों की अवधि के लिए किसी भी या सभी पार्कों से निष्कासित करने का आदेश दे सकता है यदि वह ऐसे व्यक्ति को देखता है:
 1. अपमानजनक या विघटनकारी ढंग से बात करना, या ऐसे तरीके से कार्य करना जो पार्क के संचालन या प्रोग्राम में हस्तक्षेप करता हो;
 2. किसी अन्य व्यक्ति पर नस्लीय रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करना;
 3. अनधिकृत क्षेत्र या सुविधा में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करना;
 4. किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चोट पहुंचाना या चोट का जोखिम पैदा करना;
 5. शहर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या नुकसान का जोखिम उठाना; या
 6. इस चैप्टर के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करना।
- B. शहर प्रबंधक या उसका नामित व्यक्ति या उसका अधिकृत एजेंट किसी भी व्यक्ति को किसी भी या सभी पार्कों से सात दिनों से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश दे सकता है यदि ऐसा व्यक्ति:
 1. किसी 30-दिन की अवधि में दो या अधिक बार किसी पार्क से निष्कासित किया गया हो;
 2. किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है;
 3. अवैध ड्रग्स या शराब बेचता है, रखता है या उसका उपयोग करता है;
 4. हथियार रखने या उपयोग करने से संबंधित किसी भी लागू स्थानीय, राज्य या संघीय कानून का उल्लंघन करता है; या
 5. किसी भी 30-दिन की अवधि में इस चैप्टर का एक से अधिक बार उल्लंघन करता है।
- C. इस धारा के तहत निष्कासन का कोई भी आदेश लिखित रूप में होगा और निष्कासित व्यक्ति को उसके अंतिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से भेजा या प्रमाणित मेल द्वारा भेजा जाएगा।
- D. कोई भी व्यक्ति जो उस अवधि के दौरान किसी पार्क में प्रवेश करता है जिसके दौरान उसे इस धारा की उपधारा A या B के तहत निष्कासित कर दिया गया है, वह दुष्कर्म का दोषी है। (Ord. 6074 § 3, 2012; Ord. 4480 § 20, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.330 बंद होने का समय

पारक बंद होने के समय के बाद पारक में रहना, या पारक में वाहन छोड़ना गैरकानूनी है। जब तक कि नगर प्रबंधक या उसके द्वारा नयुक्त व्यक्ति द्वारा कसी वशीष पारक के लाए कोई अन्य बंद करने का समय निर्धारित नहीं किया जाता है, पारक सूर्यास्त के आधे घंटे बाद बंद हो जाएंगे और सूर्योदय से आधे घंटे पहले पुनः खुल जाएंगे, बशर्ते कि डिउनटाउन पारक रात्रि 11:00 बजे बंद हो जाएंगा और सूर्योदय से आधे घंटे पहले पुनः खुल जाएंगा। यह अनुभाग अनुसूचित पारक वभिंग के आयोजनों या परविहन के लाए उपयोग की जाने वाली समर्पति सङ्कों और फुटपाथों पर लागू नहीं होता है जिन्हें बंद के रूप में नामित नहीं किया गया है। (Ord. 6147 § 3, 2014; Ord. 4480 § 21, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

3.43.335 पेड़ और वनस्पति- शहर की संपत्ति

- किसी भी व्यक्ति के लाए शहर के प्रबंधक या उसके नामित व्यक्ति की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना शहर के स्वामित्व वाली या पट्टे पर दी गई संपत्ति पर स्थित किसी भी पेड़ या वनस्पति को साफ करना, काटना, क्षति पहुंचाना या हटाना गैरकानूनी होगा।
- इस धारा का उल्लंघन अध्याय 1.18 BCC के तहत एक नागरिक उल्लंघन है, जो BCC 1.18.045 में निर्धारित दंड के अधीन है। (Ord. 5452 § 1, 2003; Ord. 4480 § 22, 1993; Ord. 4071 § 1, 1989.)

Bellevue सटी कोड 23 अप्रैल, 2024 को पारति Ordinance (अध्यादेश) 6786 के माध्यम से लागू है।

अस्वीकरण: सटी क्लर्क के कार्यालय के पास Bellevue सटी कोड का आधिकारिक संस्करण है। ऊपर उद्धृत अध्यादेश के बाद पारति अध्यादेशों के लाए उपयोगकर्ताओं को शहर के क्लर्क कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।



दूसरे फ़ॉर्मेट्स, दुभाषियों, या उचित संशोधन अनुरोधों के लिए कृपया कम से कम 48 घंटे पहले 425-452-2565(वाइस) या ईमेल dvannieula@bellevuewa.gov पर फ़ोन करें। संशोधनों से संबंधित शिकायतों के लिए, Bellevue ADA शहर, टाइटल VI और समान अवसर अधिकारी से ADATitleVI@bellevuewa.gov पर संपर्क करें।